विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 11/2025
दायरा दिनांकः—29.01.2025
निर्णय दिनांकः— 25.2.25

उनवान

1. रामप्यारी आयु 65 वर्ष पत्नि स्व० गुलाबचन्द
2. विजय आयु 30 वर्ष पुत्र स्व० गुलाबचन्द
3. विष्णु आयु 35 वर्ष पुत्र स्व० गुलाबचन्द
4. रचना बाई आयु 30 वर्ष पत्नि स्व० कुलदीप समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा जिला बांरा राजस्थान
5. शीतल आयु 8 वर्ष नाबालिग पुत्री स्व० कुलदीप वली सरपरस्त माता रचना बाई पत्नि स्व० कुलदीप
6. मंयक आयु 4 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व० कुलदीप वली सरपरस्त माता रचना बाई पत्नि स्व० कुलदीप समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा जिला बांरा राजस्थान

बनाम

1. कमली आयु 47 वर्ष पुत्री गोपाल पत्नि रमेश जाति धोबी निवासी निपानिया हाल निवासी कडैयाहाट तहसील छबड़ा जिला बांरा राज०
2. रामदुलारी आयु वर्ष पुत्री मांग्या पत्नि मोहन जाति धोबी निवासीहाल हड्डीमील पानी की टंकी के पास, गुना म०प्र०
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बांरा राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता — प्रार्थी
2. श्री कृष्णगोपाल भार्गव — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि कृषि भूमि ग्राम निपानिया पटवार हल्का निपानिया तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 427 में खसरा नंबर 415 रकबा 0.0253 हैक्टयर,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खसरा नंबर 713 रकबा 3.8061 हैक्टयर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.8314 हैक्टयर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में सहखातेदार व वादीया कम 4 के पति व वादीगण 5 व 6 के पिता कुलदीप की मृत्यु दिनाक 20/11/2014 को हो चुकी है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीस वादीगण कम 4 ता 6 है. जो कि नियमानुसार भागीदार है। अप्रार्थीया कम 1 कमली उक्त वर्णित आराजी के किसी भी भाग पर काबिज काश्त नही रही है तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है. प्रार्थीगण के द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजी पर फसल गैहू बो रखी है। उपरोक्त विवादित आराजी का राजस्व नियमानुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार बटवारा नहीं होने से अक्सर प्रार्थीगण व अप्रार्थीया कम 1 के मध्य वाद विवाद होता रहा है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीया कम 1 कमली से आग्रह किया कि वह राजस्व कर्मचारी के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति से उक्त वर्णित आराजी का बटवारा कराकर आराजी की तरमीश करा लेवे लेंकिन अप्रार्थीया कम 1 कमली चालाक प्रवृति की महिला होने से उक्त आराजी को बिना बटवारा कराये सड़क की ओर से सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने पर आमदा रही है. ओर ऐलानिया धमकी देती है कि तुमने मुझे मेरी पसन्द से सड़क से लगवा आराजी नही दी तो में इस विवादित आराजी को बिना बटवारें के किसी अन्य दादा किस्म के व्यक्तियों के गिरोह को बेचकर कब्जा करवा दूंगी तुम लोग वाद विवाद हमेशा करते रहना। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीया कम 1 से बटवारा कर अपना कब्जा सम्भालने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थीया कम 1 के मन में बईमानी आ जाने से विवादित आराजी का बटवारा कराने के लिए टालमटोल कर देती है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 25/1/2025 को पैदा हुआ जब अप्रार्थीया कम 1 प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर फसल गैहू बो रखी थी उक्त खड़ी फसल पर कब्जा करने आ गई ओर गांव के दादा किस्म के व्यक्तियों से खड़ी फसल नष्ट करने की कहने लगी ओर प्रार्थीगण को धमकी देने लगी की में मेरे नाम दर्ज आराजी को बिना बटवारे कराये विक्रय कर तुम्हारी खड़ी फसल गेहूँ को नष्ट करके सड़क से लगवा मेरी पसंद की आराजी पर केता को कब्जा सम्भला कर रहूंगी, मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हुई व झुठे मुकदमे में फसानें की धमकीया वादी को देती है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो को प्रभवित करने का प्रयास किया। अतः यह दिंनाक बिनाय प्रार्थना पत्र कायम की जाती है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीया कम 1 का हिस्सा का राजस्व नियमानुसार बटवारा कराने के अधिकारी है, ओर तथा बटवारा अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर करवाकर अलग अलग जमाबंदी मुर्तिब करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रार्थीगण कृषक के रूप में दर्ज कराने के अधिकारी है व अप्रार्थीया कम 1 को दोराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब पुश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 427 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया, नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया पेश किया गया।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है विवादित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आजी का बटवारा नही हुआ है अप्रार्थी क्रम 1 अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है जब तक भूमि का बटवारा नही हो जाता तब तक अप्रार्थी क्रम 1 भूमि बेचान नही कर सकती। सभी सह खातेदारान का प्रत्येक इंच पर हिस्सा निहित है प्रार्थीगण विवादित भूमि का बटवारा कराने के लिए दावा पेश किया है भूमि का बटवारा हो जाये तब अप्रार्थी क्रम 1 अपनी भूमि बेचान करने के लिए स्वतन्त्र है अप्रार्थी क्रम 1 कमली बाई का भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है मेन रोड की भूमि का बेचान करना चाहती है इसलिए मूल वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश यथावत रखा जावें जिससे गरीब व्यक्तियों का अहित ना हों।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है विवादित विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश करा लिया है अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि पर स्थगन लेने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि तक ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है प्रार्थीगण सडक की तरफ भूमि ना देकर पीछे की भूमि देना चाहता है अप्रार्थी क्रम अपना हिस्सा 1/4 बेचान करने के लिए स्वतन्त्र है अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 स्थगन से मुक्त किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 427 में अप्रार्थी क्रम 1 कमली बाई का हिस्सा 1/4 अप्रार्थी क्रम 2 रामदुलारी का हिस्सा 143/606 कुलदीप के वारिसान का हिस्सा 1/16 रामप्यारी, विजय,विष्णु, का हिस्सा 1/16, 1/16 दर्ज है तथा रामप्यारी पत्नि गुलाबचन्द का हिस्सा 80/303 दर्ज रिकार्ड है। वादी ने अपने अनुतोष में केवल अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब पेश किया गया। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है। प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता हे इसलिए यह नही कहां जा सकता कि किस सह खातेदार की भूमि किस हिस्से या दिशा में है इसका निस्तारण मूल वाद के निस्तारण के समय किया जायेगा। दौराने वाद अन्य सहखातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा